

19/4/22

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं अधिवक्ता प्रतिवादी  
अनुपस्थित। वादी व प्रतिवादी गण भी अनुपस्थित रहे।  
न्यायालय समय में बार-बार आवाज लगाए जाने  
के उपरान्त भी कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।  
अतः पत्रावली अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 C.P.C  
खारिज की जाती है।  
पत्रावली केवल शुमार ही नम्बर से कम की जावे।  
सम्बिल दफ्तर है। निर्णय खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

